कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2318 / FP/UK/ROAD/147686/2021: देहरादूनः दिनांकः 3 अप्रैल, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :–जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली– सहारनपुर–देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम हरगोवा) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग–334 के बहादराबाद बाईपास (ग्राम आतमलपुर–बौंगला) तक 6लेन अमिगम नियन्त्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला परियोजना अन्तर्गत विकास के किमी0 19.060 से कि0मी0 50.700 तक राजमार्ग निर्माण हेतु 1.6535 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। **(Online No. FP/UK/ROAD/147686/2021)**

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8वी / यू0सी0पी0 / 06 / 47 / 2022 / एफ0सी0 / 1445, दिनांक 25.01.2023

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में 26 बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु सूचना चाही गई थी। जिसका निराकरण कर वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–2143 / 12–1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा सूचना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई। भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना की बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है –

| क्र0 स0 | शर्ते | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। | वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून के पत्र संख्या–2143 / 12–1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति की गई है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी । **(संलग्नक–1)** |
| 2 | परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। **(संलग्नक–2)** |
| 3. प्रतिपूरक वनीकरणः | | |
| क | वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर कुल 3.3077 हे० कोटावाली क०स० 09. चिड़ियापुर रेंज पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अदर पूर्ण किया जाना चाहिए। | वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून के पत्र संख्या–2143 / 12–1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3.3077 है0 अवनत वन भूमि कोटावाली के क०स०–09 चिड़ियापुर रेंज पर प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि जमा कर दी गई है तथा वन विभाग द्वारा 3.3077 है0 अवनत वन भूमि कोटावाली के क०स०–09 चिड़ियापुर रेंज पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा वन विभाग द्वारा जहां तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायेगा। **(संलग्नक–3क)** |
| ख | वन मडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। | वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–2143 / 12–1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। वन मंडल अधिकारी द्वारा |

| | | |
|---|---|---|
| | | अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रेषित है। **(संलग्नक–03ख)** |
| ग | प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल फाइल, सी०ए क्षेत्र प्रस्तावित एस०एम०सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। | वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–2143/12–1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल फाइल, सी०ए क्षेत्र प्रस्तावित एस०एम०सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया गया है। **(संलग्नक–3ग)** |
| 4 | प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरो पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमाकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना मे भविष्य मे निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। | वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–2143/12–1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त के अनुपालन के संबध में सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी मूल प्रति संलग्न है।**(संलग्नक–4)** |
| 5 | **शुद्ध वर्तमान मूल्य** | |
| क | इस संबध मे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) संख्या. 202/1995 मे IAनंबर 566 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मन्त्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003,5–2/2006– एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/ 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.6535 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) एवं उनके 10 वर्षो के रख–रखाव हेतु अकन रू0 13,49,230/– की धनराशि एवं अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि 1.6535हे0 का कुल वर्तमान मूल्य (Net Present Value (NPV)अकन रू0 15,83,689/–, कुल अकन रू0 29,32,919/–(13,49,230+15,83,689) धनराशि सम्बन्धित खाते मे RTGS के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (RTGS copy enclosed) **(संलग्नक–5क)** |
| ख | विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। | सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगा। **(संलग्नक–5ख)** |
| 6 | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि मे पेडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 285 trees and 01 sapling से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण मे कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि मे पेडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 285 trees and 01 sapling वृक्षो से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण मे कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडो की कटाई की लागत जमा की जाएगी। **(संलग्नक–6)** |
| 7 | गाईडलाईन्स मे दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी। | उक्त के सम्बन्ध मे गाईडलाइन मे दिये गये दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति आपको प्रेषित की जायेगी। वन विभाग द्वारा इसकी कडाई से निगरानी करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की तिथि से 01 वर्ष की समाप्ति तक उल्लिखित कार्यो के अलावा कोई अन्य गतिविधि नही करेगी। **(संलग्नक–7)** |
| 8 | State Govt. is requested to upload the digital map in online Part-I, which showing forest and | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा डिजिटल मैप मे वन भूमि एव गैर वन भूमि को अलग–अलग रंग से प्रदर्शित कर ऑनलाईन भाग–। में अपलोड |

| | | |
|---|---|---|
| | non-forest areas with different colours. | कर दिया गया है।(संलग्नक–8) |
| 9 | परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https:Parivesh@nic.in)के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानांतरित जमा किए जाएंगे। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त के अनुपालन के संबंध मे सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। मूल प्रति (संलग्नक–9) |
| 10 | एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। | वन विभाग द्वारा एफ0आर0ए0–2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। (संलग्नक–10) (1 से 3) |
| 11 | नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष मे न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण(mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। | मान्य है। (संलग्नक–11) |
| 12 | वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें। | परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष चिन्हीत की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि का स्थल नही बदला जायेगा। (संलग्नक–12) |
| 13 | नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगे। | मान्य है । (संलग्नक–13) |
| 14 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा। | उक्त परियोजना के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नही है। (संलग्नक–14) |
| 15 | केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। | प्रयोक्ता विभाग द्वारा केंद्र सरकार पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। (संलग्नक–15) |
| 16 | वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा। | वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो हेतु किसी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा । (संलग्नक–16) |
| 17 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरो को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत: वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। | वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वैकल्पिक ईंधन प्रयोक्ता अभिकरण को मजदूरो हेतु किसी अन्य कानूनी स्त्रोत प्रर्याप्त लकडी विषेशत: वैकल्पिक दिया जाएगा। (संलग्नक–17). |
| 18 | संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward Backward bearings अंकित हो। | सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन कर दिया गया है। (संलग्नक–18) |
| 19 | परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। | वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा। (संलग्नक–19) |
| 20 | वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। | वन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित / निगरानी की जायेगी कि परियोजना अभिकरण प्रयोक्ता द्व अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्तअन्य किसी परियोजना हेतु नही किया जायेगा। (संलग्नक–20) |
| 21 | केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी। | राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी अन्य एजेंसियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही क जाएगी। (संलग्नक–21) |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं क जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त किसी भी शर्त उल्लंघन नहीं किया जायेगा।(संलग्नक–22) |
| 23 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित जो शर्तें लागू होंगी, वह राज्य वन विभाग व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मान्य होंगी। (संलग्नक–23) |
| 24 | प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नही किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा। कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में परियोजना की लागत पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधों लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीवित करने का कार्य किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारो का निर्माण किया जायेगा निस्तारण स्थलों क राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जायेगा। (संलग्नक–24) |
| 25 | यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। | राज्य सरकार एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रस्ताव में लागू होने वाले अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय समस्त आदेश / अनुदेश के अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली गई है। (संलग्नक–25) |
| 26 | अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https:@parivesh-nic.in पर अपलोड की जाएगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट की ई–पोर्टल (https:@parivesh-nic.in) पर अपलोड की जाएगी।(संलग्नक–––26) |

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–2143/12–1, दिनांक–15.03.2023 द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

03/5/23

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।

संख्या : / FP/UK/ROAD/147686/2021तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रांक 2143/12–1,दिनांक–15.03.2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग,हरिद्वार।

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।